राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4934 / 2022

देवीलाल बैरवा (कर्मचारी आई.डी.–आरजेजेडब्ल्यू200122004478)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022
आदेश की दिनांक : 09.11.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमार सैनी, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पीटीआई ग्रेड–तृतीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्यामपुरा जिला झालवाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी ने विज्ञप्ति दिनांक 16.09.1996, जो पीटीआई ग्रेड– तृतीय के बेकलोग को भरने के संबंध में थी, उस चयन प्रक्रिया में भाग लिया था एवं अपीलार्थी ने उस चयन प्रक्रिया में पांचवा स्थान प्राप्त किया था। चयन प्रक्रिया में कुछ ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 219 / 1997 मोहनलाल भील बनाम राजस्थान राज्य दायर की थी। उक्त रिट याचिका का निर्णय दिनांक 05.01.1999 को हुआ, जिसकी पालना में अपीलार्थी को दिनांक 13.09.2001 को नियुक्ति प्रदान की गई एवं अपीलार्थी ने दिनांक 15.09.2001 को कार्यग्रहण किया। अन्य अभ्यर्थियों जिनका चयन 1997 में हुआ था, उनके समान अपीलार्थी को नहीं माना गया। अपीलार्थी अन्य अभ्यर्थियों के समान नोशनल लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। उनका तर्क है कि इसी प्रकार के

प्रकरण के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रकरण रिट याचिका संया 7283/2014 मनोज खंडेलवाल बनाम राज्य एवं प्रकरण सुमन बाई व अन्य बनाम राज्य 2009 (1)WLC राजस्थान 341 में याचिकागण को लाभ दिया है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)